

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)**

राजस्व वाद संख्या 24/2023

अन्तर्गत धारा 53 व 188 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हुकमसिंह वल्द मंगलसिंह, कौम राजपूत, साकिन नागाणा, तहसील शिव, जिला बाडमेर		<ol style="list-style-type: none"> 1. आनंदसिंह पुत्र उदयसिंह, 2. अमरसिंह पुत्र सगतसिंह, 3. कंवरराजसिंह पुत्र खुशालसिंह, 4. खेतसिंह पुत्र देवीसिंह, 5. खीमसिंह पुत्र गणपतसिंह, 6. गवरकंवर पत्नी सगतसिंह, 7. चुतरसिंह पुत्र सगतसिंह, 8. चूनसिंह पुत्र गणपतसिंह, 9. धूडसिंह पुत्र कालूसिंह, 10. नगेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह, 11. नरपतकंवर पत्नी नाथुसिंह, 12. नाहरसिंह पुत्र कालूसिंह, 13. प्रहलादसिंह पुत्र गणपतसिंह, 14. मगसिंह पुत्र गणपतसिंह, 15. रविन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह, 16. लूणसिंह पुत्र सगतसिंह, 17. सुमेरसिंह पुत्र गणपतसिंह, 18. सवाईसिंह पुत्र सगतसिंह, 19. सवाईसिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपूत साकिन नागाणा तहसील शिव जिला बाडमेर। 20. शाखा प्रबंधक, दी बाडमेर सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक शिव। 21. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भीयांड। 22. तहसीलदार शव


उपस्थित :- 1. अधिवक्ता वादी - श्री बृजमोहन कुमावत।

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 03.04.2025

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त वाद में वादीगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार का खातेदारी भूमि में हक हिस्सा निहित होने से भूमि का विभाजन किया जाना उचित होने से उक्त स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल आरंग के ग्राम नागाणा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 482/364 रकबा 11.6468 हैक्टयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -


क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	हुकमसिंह पुत्र मंगलसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	नागाणा	482/364	2.9117	बा.चा.	-	लाल
2	अमरसिंह पुत्र सगतसिंह 15/1079, आनंदसिंह पुत्र उदयसिंह 15/2158, कंवरराजसिंह पुत्र खुशालसिंह 120/1079, खेतसिंह पुत्र देवीसिंह	नागाणा	482/364	8.7351	बा.चा.		

सहायक कलक्टर
(आप) शिव




113/1079, खीमसिंह पुत्र गणपतसिंह					
12/1079, चुतरसिंह पुत्र सगतसिंह					
15/1079, चुनसिंह पुत्र गणपतसिंह					
12/1079, धूडसिंह पुत्र कालूसिंह					
60/1079, नगेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह					
113/1079, नरपतकंवर पत्नी नाथूसिंह					
300/1079, नाहरसिंह पुत्र कालूसिंह					
60/1079, प्रहलादसिंह पुत्र गणपतसिंह					
12/1079, मगसिंह पुत्र गणपतसिंह					
12/1079, ना. मोतीसिंह पुत्र सवाईसिंह					
संरक्षक रेखाकंवर 40/1079, रविन्द्रसिंह					
पुत्र उदयसिंह 15/2158, लूणसिंह पुत्र					
सगतसिंह 15/1079, सुमेरसिंह पुत्र					
गणपतसिंह 12/1079, सवाईसिंह पुत्र					
सगतसिंह 40/1079, सवाईसिंह पुत्र					
देवीसिंह 113/1079 कौम राजपूत सा.					
देह खातेदार रहन अमरसिंह का हि.					
आर.एम.जी.बी. भीयांड व चूनसिंह का					
हिस्सा बी.सी.सी.बी. शिव ।					

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

